



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1948 (श०)

(सं० पटना 578) पटना, बुधवार, 10 जून 2026

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना

22 मई 2026

सं० 4/म०स०का०का०गठन-01/11(पार्ट-1)/303—मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-382 दिनांक-18.11.2016 के कंडिका-2 में निहित प्रावधान के आलोक में राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों के मनोनयन से संबंधित अधिसूचना सं०-408 दिनांक-16.03.2024 सपठित शुद्धि पत्र सं०-409 एवं 409 'क' दिनांक-16.03.2024 तथा शुद्धि पत्र सं०-564 दिनांक-16.07.2024 में संशोधन के फलस्वरूप निम्न प्रकार से राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति पुनर्गठित की जाती है:-

क्रम सं०	पदधारक का विवरण	पद
1.	श्री सम्राट चौधरी, माननीय मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री	कार्यकारी अध्यक्ष
3.	श्री संजय सरावगी, सं०वि०स०	उपाध्यक्ष
4.	श्री उमेश सिंह कुशवाहा, सं०वि०स०	उपाध्यक्ष
5.	श्री ललन कुमार मंडल, पिता-स्व० लक्ष्मण मंडल	सदस्य
6.	श्री चेतन आनंद, सं०वि०स०	सदस्य
7.	श्रीमती संगीता कुमारी, सं०वि०स०	सदस्य
8.	श्री भरत बिन्द, सं०वि०स०	सदस्य
9.	श्री मुरारी प्रसाद गौतम, सं०वि०स०	सदस्य
10.	श्री सिद्धार्थ सौरव, सं०वि०स०	सदस्य
11.	श्री प्रहलाद यादव, पिता-स्व० अमृत यादव	सदस्य
12.	श्रीमती नीलम देवी, पति-श्री अनंत कुमार सिंह	सदस्य
13.	श्री जगन्नाथ ठाकुर, पिता-स्व० राम लखन ठाकुर	सदस्य
14.	श्री राजेश कुमार वर्मा, पिता-श्री दिनेश प्रसाद वर्मा	सदस्य
15.	श्रीमती भारती मेहता, पति-श्री शिव कुमार राउत	सदस्य
16.	श्री चंदन कुमार सिंह, पिता-स्व० सुरेश नारायण सिंह	सदस्य

2. दोनों उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री एवं सभी सदस्यों को राज्य के उप मंत्री का दर्जा दिया जाता है। उपरोक्त में से बिहार विधान मंडल के सदस्य, बिहार विधान मंडल के सदस्य के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ता एवं सुविधाएँ को पूर्ववत् लेते रहेंगे एवं इस दर्जा को मिलने के कारण इससे इतर जो सुविधाएँ होंगे वह सरकार से प्राप्त करेंगे।
3. शेष रिक्तियों पर मनोनयन बाद में किया जाएगा।
4. विभागीय संकल्प सं०-382 दिनांक 18.11.2016 के आलोक में समिति के मनोनीत/नामित उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से अगले आदेश तक मान्य होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार वर्मा,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 578-571+100-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>